झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक :– 13 फाल्गुन, 1942 (श0) / 04 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
69.	अ0सू0-03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	केन्द्र का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.21
70.	अ0सू0-10	श्री निरल पुरती	व्यवस्था करना।	जल संसाधन	28.02.21
71.	अ0सू0-25	सुश्री अम्बा प्रसाद	समान नीति बनाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	28.02.21
72.	अ0सू0-05	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	ड्रेस कोड लागू कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.02.21
73.	अ0सू0-12	श्री बंधु तिर्की	छात्रवृत्ति का भुगतान।	अनु0जाति अनु0 जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	28.02.21
74.	अ0सू0-23	श्री अनन्त कुमार ओझा	योजना को पुनः चालू करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
75.	अ0सू0-24	श्री प्रदीप यादव	ठोस पहल करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता।	28.02.21
76.	अ0सू0-19	श्रीमती पुष्पा देवी	मुआवजा का भुगतान।	जल संसाधन	28.02.21
77.	अ0सू0-06	श्री भानु प्रताप शाही	समितियों का पुर्णगठन।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
78.	अ0सू0-14	श्री विनोद कुमार सिंह	वेतनमान देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	28.02.21

क्र0पृ030

*79.	अ०सू०-04	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	शिविर लगाना।	ऊर्जा	17.02.21
80.	अ०सू०-08	श्री भानु प्रताप शाही	सेवा नियमित करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
81.	अ०सू०-33	श्री सुदिव्य कुमार	कार्डधारियों का नाम जोड़ना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	28.02.21
82.	अ०सू०-11	श्री बंधु तिर्की	वैकेंसी पर लगी रोक हटाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	28.02.21
83.	अ०सू०-13	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	समान वेतन लागू करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
84.	अ०सू०-37	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	प्रावधान बनाना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
85.	अ०सू०-34	श्री सुदिव्य कुमार	रोजगार सृजन करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
86.	अ०सू०-40	श्री ढुलू महतो	स्थानांतरण करना।	ऊर्जा	28.02.21
87.	अ०सू०-28	सुश्री अम्बा प्रसाद	गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	अनु०जाति अनु० जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	28.02.21
88.	अ०सू०-18	डॉ० इरफान अंसारी	योजना प्रारंभ कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
89.	अ०सू०-09	श्री निरल पुरती	नदी के कटाव रोकना।	जल संसाधन	28.02.21
90.	अ०सू०-36	डॉ० लम्बोदर महतो	निगरानी से जाँच कराना।	ऊर्जा	28.02.21
91.	अ०सू०-15	डॉ० सरफराज अहमद	कृषि का दर्जा देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
92.	अ०सू०-26	श्री प्रदीप यादव	योजना प्रारंभ करना।	ऊर्जा	28.02.21
93.	अ०सू०-17	डॉ० इरफान अंसारी	मछली उत्पादन कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
94.	अ०सू०-22	श्री अमित कुमार यादव	प्रमंडल स्तर से स्वीकृति।	ऊर्जा	28.02.21
95.	अ०सू०-16	श्री अनन्त कुमार ओझा	धान क्रय करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
96.	अ०सू०-07	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	28.02.21
97.	अ०सू०-02	श्री बिरंची नारायण	भुगतान करवाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	17.02.21
98.	अ०सू०-01	श्री बिरंची नारायण	उपभोक्ता को राहत दिलाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	17.02.21

* कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक - 281 दिनांक - 31/3/21 द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में स्थानान्तरित।

99.	अ0सू0-41	डॉ सरफराज अहमद	वाणिज्यिक घोषित करना।	जल संसाधन	28.02.21
100.	अ0सू0-39	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	बीमा राशि देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
101.	अ0सू0-30	श्री केदार हजरा	परामर्शदातृ परिषद का बैठक कराना।	अनु0जाति अनु0 जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	28.02.21
102.	अ0सू0-21	श्रीमती पुष्पा देवी	गाँव में विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	28.02.21

राँची,
दिनांक- 04 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-......814......./वि0स0,राँची,दिनांक- 02/03/2021

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 02.3.2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-......814......./वि0स0,राँची,दिनांक- 02/03/2021

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 02.3.2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-......814......./वि0स0,राँची,दिनांक- 02/03/2021

प्रतिलिपि:- कार्यवाही शाखा,बेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 02.3.2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

(69)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-03 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज का भूमि फलदार वृक्षों के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है जहाँ एंग्लो इंडियन परिवार द्वारा सैकड़ों बगीचे लगाये गये थे ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त बगीचों का रख-रखाव किड़ा रोग के कारण खराब हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस संबंध में क्षेत्रीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची एवं अन्य के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि फलदार वृक्षों की औसतन आयु 60-70 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप वृक्षों की लम्बी शाखाएँ कमजोर होने के कारण सूखकर एवं टूटकर गिर रही है। कीड़ों से बचाव हेतु वहाँ पौधा संरक्षण कार्यालय द्वारा संचालित केन्द्र के कार्यरत कर्मी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् अन्य केन्द्र के कर्मी को छिड़काव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगीचों को किट रोग से बचाने एवं कृषि कार्य के लिए उच्च तकनीकी पौधा संरक्षण केन्द्र का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति उच्च तकनीकी पौधा संरक्षण केन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत 40-50 वर्ष पुराने फलदार वृक्षों के जीर्णोद्धार की योजना सरकार द्वारा संचालित है, जिसके तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रति चयनित लाभुकों को अधिकतम 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2.0 हेक्टेयर) अनुमान्य है। इस योजना के तहत जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर इस कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जीर्णोद्धार का उपयुक्त समय दिसम्बर एवं जनवरी माह है। यदि उक्त योजना के तहत फलदार वृक्षों के जीर्णोद्धार हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं तो नियमानुसार पुराने फलदार वृक्षों का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-01/2021 384 /कृ0, राँची, दिनांक- 01.03.2021

प्रतिलिपि- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-32 दिनांक-17.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-01/2021 384 /कृ0, राँची, दिनांक- 01.03.2021

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.21

सरकार के अवर सचिव।

(70)

श्री निरल पूरती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझगाँव प्रखण्ड स्थित कंगीरा नदी में कटाव हो रहा है तथा नदी में कटाव के कारण आस–पास के गाँव प्रभावित हो रहे है,	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में कटाव रोकने की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नही तो क्यों ?	उक्त नदी से कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन संबंधित पदाधिकारी द्वारा तैयार कराया जा रहा है। तत्पश्चात् राज्य तकनीकी सलाहकार समिति एवं विभागीय स्तर पर गठित योजना समीक्षा समिति के अनुशंसा के पश्चात् क्षेत्रीय संतुलन एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–अ०सू०–05/2021 – 1267 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 712 वि०स० दिनांक 28.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

-71-

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू०प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
सुश्री अम्बा प्रसाद स०वि०स०	श्री रामेश्वर उराँव मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुऐं यथा चावल, किरासन, गेहूँ, चीनी, नमक आदि खाद्य सामग्री की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति धारी दुकानदारों के माध्यम से उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जाती है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि वन नेशन वन कार्ड के तहत सबों को समान अधिकार प्राप्त है;	One Nation One Ration Card भारत सरकार की योजना है जो इस राज्य में माह जनवरी, 2020 से संचालित है। इस योजनान्तर्गत दूसरे किसी अन्य राज्य के लाभुक भी झारखण्ड राज्य में एवं झारखण्ड राज्य के लाभुक भी अनुमान्यता के अनुसार बाहर किसी अन्य राज्य में जहाँ यह योजना संचालित है, किसी भी ऑनलाईन जन वितरण प्रणाली दुकान से अनुमान्यता अनुसार खाद्यान्न का उठाव कर सकते हैं। One Nation One Ration Card में कोई समान अधिकार देने जैसी बात नहीं है।
(3) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा मनमाने ढंग से गेहूँ की आपूर्ति से कई प्रखंडों को वंचित कर दिया गया है जो सरकारी नीति के विरूद्ध है; (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिले के सभी प्रखंडों में समान नीति एवं अनुपात में गेहूँ उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित विभागीय पदाधिकारी को देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न के रूप में चावल एवं गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा चावल की तुलना में गेहूँ का आवंटन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध कराया गया है। इस क्रम में लाभुकों को चावल तथा गेहूँ 60:40 के अनुपात में वितरित किये जाने का निदेश दिया गया है। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया है कि गेहूँ का वितरण प्राथमिकता के आधार पर शहरी क्षेत्रों में किया जाए। यदि इसके पश्चात् गेहूँ की मात्रा अवशेष बचती है तो जिले के अन्य क्षेत्र में लाभुकों की आहार प्रवृति (Dietary Habits) के आधार पर चावल के साथ गेहूँ उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया है।

ह०/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०अ०सू० प्रश्न) 03/2021 675 /राँची, दिनांक 02.03.21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–692/वि०स०, दिनांक 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 05 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, गोड्डा एवं कोडरमा जिला में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों में किशोरी, गर्भवती धात्री और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को बेहतर ढंग से लागू करने उद्देश्य से वर्ष 2016 में परामर्शी (पोषण सखी) का चयन किया गया था ;	स्वीकरात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में चयनित पोषण सखी बहनों का शिक्षित, दक्ष एवं तकनीकी योग्यता के बाद भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम् कुशल मजदूरी के अनुरुप मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;	स्वीकरात्मक। भारत सरकार के दिशा निदेश के आलोक में रु0 3000/– प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका के अनुरुप पोषण सखी को बीमा एवं अवकाश का लाभ तथा ड्रेस कोड लागू नहीं है,	स्वीकरात्मक। पोषण सखी के लिए बीमा एवं अवकाश का लाभ तथा ड्रेस कोड स्वीकृत नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में चयनित पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को कुशल मजदूरी के अनुरुप मानदेय भुगतान बीमा एवं अवकाश का लाभ सहित ड्रेस कोड लागू कराना है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरुप देय लाभ एवं सुविधाएँ पोषण सखी को प्राप्त है। सम्प्रति परिवर्त्तन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 55/2021–396 राँची, दिनांक : 26-02-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–30/वि0स0, दिनांक–17.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, स० वि० स० से प्राप्त दिनांक– 04.03.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12 का उत्तर सामग्री

क०	अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय द्वारा गरीब मेधावी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की व्यवस्था की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को जिस संस्थान में वह अध्ययनरत है, उस संस्थान का पूरा ट्युशन, व्यवस्थापन एवं अन्य फीस भुगतान करने का प्रावधान है ;	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृति के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ता एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृति की राशि सम्मिलित है जो अधिकतम 50000.00 रूपये एवं न्यूनतम 9000.00 रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष देय है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संकल्प सं०–636, दिनांक–21.02.2018 छात्रवृति नियमावली, 2018 निर्गत किया गया है, जिसमें अधिकतम छात्रवृति एक वर्ष में मात्र 50000 रूपया तक ही स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा स्वतः लिया गया संज्ञान WP(PIL) 4950/2016 बनाम राज्य सरकार एवं प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश पारित किया गया है कि झारखण्ड सरकार द्वारा गरीब अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृति प्रावधान के अनुसार भुगतान किया जाय ;	अस्वीकारात्मक। WP(PIL) 4950/2016 की आदेश की प्रति संलग्न।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश एवं केन्द्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में छात्रवृति भुगतान करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

<u>अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।</u>

ज्ञाप कि–03/वि०स०(अल्प–सूचित)–02/2021 582 रॉंची, दिनांक– 03/3/21

प्रतिलिपि– 1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–715 दिनांक– 28.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumari 03/03/21

(वंदना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
W.P.(PIL)No. 4950 of 2016

Court on its own motion ....Petitioner

Vrs.

1.The State of Jharkhand through the Chief Secretary, Govt. of Jharkhand
2.The Principal Secretary, Dept. of Health, Medical Education & Family Welfare, State of Jharkhand, Ranchi
3.The Principal Secretary, Welfare Dept., State of Jharkhand, Ranchi
.... Respondents

....

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE APARESH KUMAR SINGH
HON'BLE MR. JUSTICE B. B. MANGALMURTI

For the Petitioner : Mr. Manoj Tandon, Amicus Curiae
For the Respondents : Mr. Vikash Kumar, J. C to Mr. Ajit Kumar, A.G

11/04.10.2017 Heard learned Amicus Curiae and learned counsel for the Respondent State.

2. This Court took *suo motu* cognizance of the plight of a 19 years old differently abled Tribal girl, Anima Minz hailing from a village in Latehar district of Jharkhand on the basis of a newspaper report published in daily newspaper "Hindustan Times" in its Ranchi edition dated 31.8.2016, which depicted that her family could not afford her education for the MBBS Course, though she has cracked the National Eligibility Entrance Test (NEET). This Court therefore issued direction on 31.8.2016 to the State authorities to provide financial assistance to the girl to enable her to take admission in Grant Medical College and Sir JJ Hospital, Mumbai.

3. As per the affidavits filed thereafter by the Respondents, she was extended financial assistance of Rs.2,00,000/- (Rupees Two Lakhs) through cheque no. 908980 dated 31.8.2016 from the Hon'ble Chief Minister Relief Fund towards her admission fees, tuition fees for her 1st year MBBS Course, purchase of medical books, hostal fees and other ancillary charges. By an affidavit dated 28.9.2016 Respondents had also brought on record the scheme of Post Matric Scholarships to the students belonging to Scheduled Tribe, issued by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, New Delhi. Object of the scheme is to provide financial assistance to the Scheduled Tribe students studying at post matriculation or post secondary stage to enable them to complete their education. Eligibility conditions are also laid down for providing such financial assistance. Under the "Means Test", scholarships are to be paid to the students whose parents/ guardians' income from all sources does not exceed Rs.2,00,000/-(Rs. Two lakh only) per annum. The value of scholarship for different courses, provisions for Scheduled Tribe students with disability etc are also prescribed there under and it also

envisages the mode of payment. The funding pattern of the scheme is implemented by the State Government and Union Territory Administrations, which receive 100% central assistance from Government of India over and above their respective Committed Liability. The level of Committed Liability of respective State Government / Union Territory Administration for a year is equivalent to the level of actual expenditure incurred by them under the Scheme during the terminal year of the last Five Year Plan period and is required to be borne by them for which they are required to make required provision in their own budget. The North Eastern States have, however been exempted from making their own budgetary provisions towards committed liability from Ninth Plan Period (1997-2002)onwards. The State Government and the Union Territory Administration while implementing the scheme are required to furnish data of beneficiaries and expenditure under the scheme to Government of India, regularly in the Quarterly Reports prescribed for this purpose. Designation Grievance Redressal Officers (GROs) at the State and District levels are required to redress students' scholarship related grievances. The scheme also envisages creation of Book Bank for Scheduled Tribe students and Course-wise pattern of assistance in setting up of Book Banks as per which the ceiling or actual cost of a set is also prescribed.

4. By the order dated 16.12.2016 this Court had observed that such welfare measure needs to be put on the public domain and publicized in an adequate manner so that the actual needy persons or students in particular in these kind of cases can avail the benefits thereof. The issue had also been discussed whether the State requires any indemnity bond while granting such assistance. As per the affidavit of the State dated 8.2.2017 there is no provision to take undertaking from the recipient of post matric scholarship scheme to serve in the State. Learned counsel for the Respondent State on instruction submits that the girl, Anima Minz has given an undertaking that after completion of her studies she would like to serve in her home State of Jharkhand as Doctor. She has however also enclosed the certificate from Dean of Grant Government Medical College & Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai dated 28.10.2016, which requires her to serve under the Government of Maharashtra or Local Self Government or Defence Services for a period of 1 year or to pay Rs. 10,00,000(Rupees Ten Lacs Only) for the default. Learned counsel for the Respondent State submits that in the light of the compliance shown by the Respondents and the intent shown by the girl

herself to serve in Jharkhand, the object of the public interest litigation has been achieved. It is further submitted that the scheme is adequately being publicized in newspaper in the month of May-June every year during the period such competitive examination for admission in Technical or other Courses are held for the benefit of the candidates belonging to Scheduled Tribe category.

5. Learned Amicus Curiae submits that direction may be issued upon the Respondent to also publicize the scheme by notifying it on the notice board of such Government Institutions, Schools, Colleges across the State from where students of the downtrodden strata of the society belonging to Scheduled Tribe category appear, so that it is known to them at the time of taking of competitive examination. It would go a long way to help in ensuring financial assistance to a larger number of Scheduled Tribe candidates who otherwise might be deprived of such State assistance in pursuing higher studies for want of sufficient knowledge of the Scheme.

6. We consider the proposal of learned Amicus Curiae very reasonable. Accordingly while disposing of this Public Interest Litigation, we issue direction upon the Welfare Department; Department of Health, Medical Education, Family Welfare; Department of School Education and Literacy; Department of Higher and Technical Education and Skill Development under the Government of Jharkhand to take adequate measures to disseminate information about this scheme and such other schemes prevalent under the Central or the State Government which intend to provide financial assistance to the needy candidates belonging to Schedule Tribe category or any such other category through these Government Institutions, Schools and Colleges at appropriate stages of the academic calender every year by putting up on the notice boards and such other means. The Principal Secretaries of the concerned Departments would ensure compliance of the instant direction within a reasonable time, preferably within a period of 12 weeks from the date of receipt of copy of this order.

7. The writ petition is disposed of accordingly.

(Aparesh Kumar Singh, J.)

(B.B.Mangalmurti, J.)

A.Mohanty

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-23 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 2 लाख रूपये तक के ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत इस योजना में राज्य के 50 प्रतिशत से भी कम किसानों को फायदा होने वाला है;	किसानों के 50000/- रूपये तक के ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि जिन किसानों ने अबतक किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है, उनको राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक सहायता देने की कोई योजना संचालित नहीं है;	ये सरकार के विभिन्न योजनाओं से आच्छादित होंगे यथा- बीज विनिमय वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना, कृषक राहत कोष एवं कृषक हेल्प लाईन, कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों इत्यादि को कृषि यंत्र, उद्यान विकास की योजना, जलनिधि, मधुमक्खी पालन की योजना इत्यादि।
3	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान सरकार के द्वारा चलायी जा रही "मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना" को बन्द कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहेगी की राज्य में कुल कितने किसान हैं तथा कृषि ऋण माफी योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे, वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अबतक कितने किसानों का ऋण माफ की गयी है तथा शेष किसान, जिन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है, उनके लिए खण्ड (3) में वर्णित योजना को पुनः चालू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क) राज्य में लगभग 38 लाख किसान हैं। ख) सभी योग्य किसान लाभान्वित होंगे। ग) सरकार सभी किसानों को सहायता पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-08/2021 492 /कृ०, राँची, दिनांक-03.03.2021
प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-705 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021
(चाँद हेम्ब्रम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-08/2021 492 /कृ०, राँची, दिनांक-03.03.2021
प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

S/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Sina/7

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-24 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने धान की पैदावार को बढ़ावा देने एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020-21 में नई योजना "धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता" नाम की 200 करोड़ का बजटीय उपबंध के साथ शुरू की है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक सुस्ती एवं योजना का कार्यरूप अबतक प्रस्तुत न करने के कारण किसान उक्त योजना के लाभ से वंचित हैं;	अस्वीकारात्मक। दिनांक-21.07.2020 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में धान उत्पादन एवं बाजार अभिगम्यता/सुलभता हेतु सहायता योजना के संबंध में प्रासंगिक योजना पर पुनर्विचार करने तथा उसके स्थान पर दूसरी कल्याणकारी योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार बजट उपबंध की राशि पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पित कर दी गयी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह योजना प्रभावी लाभकारी साबित हो इस हेतु ठोस पहल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-05/2021 423 /कृ0, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-689 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

(चाँद हेम्बरम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-05/2021 423 /कृ0, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

(76)

माननीय स० वि० स० श्रीमति पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सुचित प्रश्न सं0— अ0सू0—19 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	अल्प सुचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह सही बात है कि राज्य के महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना उत्तरी कोयल परियोजना अन्तर्गत बटाने जलाशय योजना वर्ष 1977—78 में शुरूआत की गई थी;	बटाने जलाशय योजना उत्तर कोयल योजनान्तर्गत नहीं, अपितु एक अलग योजना है। बटाने जलाशय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति अविभाजित बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रदान किया गया। इसके बाद निर्माण कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया।
2	क्या यह सही बात है कि इस योजना के लिए सरकार द्वारा तीन चरणों में क्रमशः 1977—78, 1983—84 एवं 1995—96 में कुल 3350 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह सही बात है कि विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों को 2700 एकड़ भूमि का मुआवजा कर 750 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान लंबित रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। आवश्यकतानुसार, 208.795 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाना शेष है, जिसका अधिसूचना एवं अधिघोषणा सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया गया है। इस शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए 7915.05 लाख की राशि मुआवजा भुगतान हेतु आवंटन निर्गत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
4	क्या यह सही बात है कि 46 विस्थापित परिवारों को वन भूमि पर 25 डी0 जमीन दी गई है, लेकिन वन पट्टा नही दिये जाने से वे लोग सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है;	39 विस्थापित परिवारों को मांडर पुनर्वास स्थल पर 25—25 डी0 जमीन दी गई है। वन पट्टा दिये जाने के सन्दर्भ में वन विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बटाने डैम के विस्थापित परिवारों को 750 एकड़ भूमि के बकाये मुआवजा का भुगतान कर झारखण्ड पुर्नरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 के कंडिका 9.2 के अनुसार नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की कंडिका 9.2 के अनुसार "जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के वर्ग 3 एवं 4 के रिक्त पदों पर आवश्यकताओं को देखते हुए अर्हता रखने वाले विस्थापितों को, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श लेकर नियुक्ति में उच्चतम प्राथमिकता दिया जायेगा"। विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में तृतीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा दिनांक 12.02.2021 को नियमावली अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, सुयोग्य विस्थापितों को स्वीकृत रिक्त बल के विरूद्ध नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1278 राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–708, दिनांक–28.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

77

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-06 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा कृषक की हितकारी योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के सफलतापूर्वक संचालन के लिए 13.30 (13 करोड़ 30 लाख) रूपये का अनुदान राज्य सरकार/मार्केटिंग बोर्ड को दिया गया, परन्तु मात्र 1.72 (एक करोड़ बहत्तर लाख) रूपये ही खर्च किये गये हैं;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बचे हुए शेष धनराशि को किसानों के हित में खर्च करने एवं मार्केटिंग बोर्ड सहित राज्य की कुल 28 बाजार समितियों के पुर्णगठन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	किसानों के हित में झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के स्तर से क्लीनिंग/ग्रेडिंग एवं पैकजिंग यूनिट को अधिष्ठापित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मार्केटिंग बोर्ड सहित राज्य की कुल 28 बाजार समितियों के पुनर्गठन के संबंध में सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-07/कृ0वि0प0(वि0स0)-01/2021 420 /कृ0, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-688 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2021

(कृष्ण कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-07/कृ0वि0प0(वि0स0)-01/2021 420 /कृ0, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2021

सरकार के उप सचिव।

D:/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Ekta/T

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 14 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका एवं पोषण सखी का मानदेय कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन से भी कम है ;	स्वीकरात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उनके मानदेय व सुविधाओं में वृद्धि या वेतनमान देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आँगनबाड़ी सेविका, आँगनबाड़ी सहायिका एवं पोषण सखी को विभागान्तर्गत संचालित केन्द्र प्रायोजित आँगनबाड़ी सेवाएँ अधीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं निर्धारित दरों के आलोक में मानदेय भुगतान किया जाता है। (i) विभागीय संकल्प सं0–2972, दिनांक–16.11.2018 के प्रावधानुसार भारत सरकार के निर्धारित दर पर सम्प्रति आंगनबाड़ी कर्मियों को निम्नवत् मानदेय भुगतान किया जा रहा है :– आंगनबाड़ी सेविका — रु0 4500/– ; लघु आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका — रु0 3500/– ; आंगनबाड़ी सहायिका — रु0 2250/– ; केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। (ii) सीमित राज्य संसाधनों के साथ भी बढ़ती महँगाई और उक्त आँगनबाड़ी कर्मियों के कार्य महत्ता के दृष्टिगत् प्रोत्साहन स्वरुप विभागीय संकल्प सं0– 2577, दिनांक–01.11.2019 द्वारा स्वीकृति के आलोक में राज्य संसाधन मद से आंगनबाड़ी कर्मियों को निम्नवत् अतिरिक्त मानदेय का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है:– आंगनबाड़ी सेविका — रु0 1900/– ; लघु आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका — रु0 1200/– ; आंगनबाड़ी सहायिका — रु0 950/– ; शत् प्रतिशत राज्यांश मद से भुगतान किया जाता है। (iii) भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं निर्धारित दरों पर ही पोषण सखी का भुगतान किया जा रहा है, जो विभागीय संकल्प सं0–2126, दिनांक–21.09.2015 के प्रावधानानुसार प्रतिमाह

		रु० 3000/– है। इसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 :40 है। अतएव सम्प्रति आँगनबाडी कर्मियों को प्रतिमाह कुल मानदेय का निम्नवत् भुगतान किया जा रहा है :– आंगनबाड़ी सेविका — रु० 6400/– लघु आंगनबाड़ी सेविका — रु० 4700/– आंगनबाड़ी सहायिका — रु० 3200/– पोषण सखी — रु० 3000/– सम्प्रति उक्त आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय भुगतान में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 71/2021–443 राँची, दिनांक : 03-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–716/वि०स०, दिनांक–28.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

(विक्रमा राम)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल वर्षों से लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि लंबित बिल के कारण आम उपभोक्तओं का बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रख कर 70 प्रतिशत तक बिजली बिल माफ करते हुए एकमुश्त बिजली बिल जमा करने हेतु प्रखण्ड स्तर पर बिजली जमा करने का शिविर लगाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में विद्युत् विपत्र राशि माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्युत् विपत्र राशि की वसूली हेतु भिन्न-भिन्न स्थलों पर प्रत्येक माह शिविर लगाया जाता है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 70 प्रतिशत विद्युत् विपत्र राशि माफ करने से संबंधित निर्णय तभी लिया जा सकता है, जब उक्त राशि की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाय। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तत्काल ऐसा निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 458 / दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-08 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्यादेश के पत्रांक-12 दिनांक-11.01.2017 AGRICULTURE 16-17 के माध्यम से बागवानी मित्रों का चयन विज्ञापन निकाल कर किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बागवानी मित्रों द्वारा उद्यान की फसलों का सर्वे का कार्य कराया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टयर 250 रुपया मिलता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत योजना के तहत उद्यानिकी फसलों के सर्वे तथा Vegetable रूट तैयार करने हेतु रू. 250/- प्रति हे0 की दर से भुगतान किया गया था। वर्त्तमान में उद्यान विकास की योजना अन्तर्गत बागवानी मित्रों द्वारा उद्यानिकी फसलों का सर्वे अवयव (Component) सम्मिलित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के सभी बागवानी मित्रों का मानदेय के रूप में 7500 एवं 60 वर्ष तक सेवा नियमित कराने का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में इससे संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-03/2021 494 /कृ0, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-694 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

(चाँद हेम्ब्रम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-03/2021 434 /कृ0, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

(81)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू० प्रश्न संख्या–33 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदिव्य कुमार,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, गिरिडीह जिला सहित पूरे राज्य में राशन कार्डधारियों का नाम जोड़ने एवं हटाने का लॉगिग जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) के पास है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि डीलर परिवर्तन करने का लॉगिग भी जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) के पास ही है;	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय से राज्य के कई प्रखण्डों की दूरी 50–60 किलोमीटर होने के कारण आमलोगों को जिला मुख्यालय में आकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करना तथा नाम जोड़वाने के लिए बार–बार कार्यालय का चक्कर लगाने में काफी कठिनाई का सामना करना एवं आर्थिक हानि उठाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। लाभुकों द्वारा राशनकार्ड में नाम जोड़वाने, नये राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु Ration Card Management System (RCMS) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन का प्रावधान है। इस क्रम में लाभुक द्वारा अपना मनपसंद डीलर चुनने का प्रावधान Ration Card Management System (RCMS) में अनिवार्य किया गया है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उक्त आवेदन का सत्यापन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा सत्यापित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अग्रेषित किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपने Login के माध्यम से प्राप्त सत्यापित आवेदनों के आधार पर नये राशनकार्ड, संशोधित राशनकार्ड जारी किया जाता है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशन कार्डधारियों का नाम जोड़ने एवं हटाने तथा डीलर परिवर्तन का लॉगिग प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी BSO को देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०अ०सू० प्रश्न) 09/2021 674 /राँची, दिनांक 02/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–701/वि०स०, दिनांक 28.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

32

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बंधु तिर्की,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, रॉंची जिला में 18 ब्लॉक एवं 53 वार्ड है, परन्तु कार्यरत Block Supply Officer (BSO) की संख्या केवल तीन है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राँची जिला में लगभग 4 लाख सदस्यों की राशन कार्ड लंबित है तथा वर्ष 2019 से राशन डिलरों की नयी वैकेंसी पर रोक लगी हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राँची जिला के 19,56,436 लाभुकों को आच्छादित किया गया है। साथ ही झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 95,731 लाभुकों को आच्छादित किया गया है। विदित हो कि राँची जिला में लगभग 1.92 लाख सदस्यों का राशनकार्ड आवेदन लंबित है। संबंधित योजनान्तर्गत रिक्तियों के विरूद्ध योग्य लाभुकों का चयन कार्य प्रक्रियाधीन है। नई अनुज्ञप्ति पर विभागीय पत्रांक 2739, दिनांक 16.09.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थिति में Hard to reach areas में जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर जारी की जा सकती है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार BSO की नयी रिक्तियाँ लाने, लंबित राशन को बहाल करने तथा नये डिलरों के वैकेंसी पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों के रिक्त 223 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विभागीय पत्रांक 1674, दिनांक 11.06.2019 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (नोडल विभाग) झारखण्ड को प्रेषित की गई थी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है। शेष बिन्दुओं के संबंध में स्थिति उपर्युक्त कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०आ० 04 (वि०स०अ०सू०प्रश्न) 07/2021 672 /राँची, दिनांक 02/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–703/वि०स०, दिनांक 28.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/21
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-13 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के पुनरीक्षित आत्मा स्कीम 2010-11 एवं विभागीय संकल्प संख्या-210 दिनांक-31.07.2010 के आलोक में Externsion Reforms योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक राजस्व चार गांवों पर एवं द्वितीय चरण में दो गांवों पर एक कृषक मित्र कार्यरत है, जिनकी संख्या वर्तमान में 12,626 है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कृषक मित्रों से प्रखण्ड स्तर पर संचालित केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करना, आत्मा द्वारा संचालित कृषि गतिविधियों की जांच अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करने में विषय एवं वस्तु विशेषज्ञ एवं प्रखण्ड तकनीकी दल को मदद करना आदि कार्य कराये जाते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या-210 दिनांक-31.07.2010 के कंडिका संख्या-05 कृषक मित्र की भूमिका एवं दायित्व निम्न प्रकार है: 5.1 गाँव तथा पंचायत कृषि प्रसार कार्य योजना तैयार करने में विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रखण्ड तकनीकी दल एवं कृषक सलाहकार समिति को सहयोग। 5.2 प्रखण्ड तकनीकी दल, विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषक सलाहकार समिति से समन्वय स्थापित कर कृषि कार्य के गतिविधियों में आवश्यकतानुसार सहयोग। 5.3 कृषक पाठशाला के सफल संचालन में सहयोग। 5.4 कृषक समूह निर्माण, स्वयं सहायता समूह एवं सामुदायिक अभिरूची समूह के कार्य में मदद करते हुए उन्हें कृषि एवं कृषि से संबद्ध कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास। 5.5 कृषक अभिरूची समूह एवं सामुदायिक अभिरूची समूहों को किसान साख पत्र (के०सी०सी०) दिलाने हेतु बैंक के साथ समन्वय स्थापित करना। 5.6 नियमित क्षेत्र भ्रमण के दौरान कृषि गतिविधियों के प्रगति का आंकलन कर विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रखण्ड तकनीकी दल एवं कृषक सलाहकार समिति को अवगत कराना। 5.7 ग्राम एवं संकुल स्तर पर समूहों की बैठक आयोजन करने में मदद करना। 5.8 आत्मा द्वारा संचालित कृषि गतिविधियों की जाँच, अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करने में विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं प्रखण्ड तकनीकी दल को मदद करना। 5.9 अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण आदि का प्रक्षेत्र में भौतिक सत्यापन करना। 5.10 आत्मा द्वारा किसान समूहों को बीज राशि के रूप में दिये जाने वाले प्रोत्साहन हेतु योग्य समूहों के चयन में मदद करना तथा कृषक पुरस्कार हेतु योग्य कृषक को चयन में

		मदद करना। 5.11 प्रखण्ड स्तर पर संचालित केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करना। 5.12 प्रखण्ड स्तर, आत्मा एवं समेति स्तर से समय-समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों का ससमय निर्वहन करना।
3	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की आत्मा मार्गदर्शिका 2018 में कृषक मित्रों से संबंधित कंडिका में स्पष्ट किया गया है कि "the small sum of Rs. 12000/- per annum has been provided to the Farmer Friends to meet contigent expenditure for assisting fellow farmers. It should not be perceived as remuneration" उक्त के आलोक में कृषक मित्रों को वर्तमान में रू0 1000/- भुगतान किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कृषक मित्रों के कार्य प्रगति को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तरह समान काम, समान वेतन लागू करते हुए कृषक मित्रों को भी वेतन निर्धारण करने का विचार रखती है; हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कृषक मित्र केन्द्र प्रायोजित योजना एस0एम0ए0ई0 की मार्गदर्शिका 2018 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यरत हैं, जिन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति वर्ष 12000/- रूपये दिया जाता है। राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-02/2021 427 /कृ0, राँची, दिनांक- 03.03.2021

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-693 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-02/2021 427 /कृ0, राँची, दिनांक- 03.03.2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

सरकार के अवर सचिव।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-37 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-	
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में सहकारी समिति में कोई भी पदाधिकारी लगातार दो अवधि के बाद तीसरी अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 यथा संशोधित, 2015 की धारा-14 की उपधारा-8 में प्रावधानित है कि-"इस अधिनियम में किसी प्रावधान उसके अन्तर्गत बने नियमों एवं निबंधित सोसाईटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति किसी निबंधित सोसाईटी के प्रबंध समिति की दो क्रमवार अवधि में पदधारी हो तो वह पुनः उस प्रबंध समिति के पदधारी के निर्वाचन या मनोनयन के लिए योग्य नहीं होगा।"
2.	क्या यह बात सही है कि बैद्यनाथ कमिटि के अनुशंसा के आलोक में बिहार सहित अन्य राज्यों में अवधि की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है कि कोई भी पदाधिकारी सहकारी समिति चुनाव में लगातार भाग ले सकता है ;	झारखण्ड की स्थिति क्रमांक-01 में स्पष्ट कर दी गयी है। बिहार के संबंध में स्थिति की जानकारी प्राप्त कर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड सहकारी सोसाईटी अधिनियम-1935 की धारा-14 की उपधारा-8 को निरस्त कर बिहार एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर लगातार दो अवधि के पश्चात् पुनः चुनाव में खड़ा होने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड सहकारी सोसाईटी अधिनियम-1935 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

285
03.03.2021

ह0/-
(जनार्दन पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-05/विधान सभा (अल्प सूचित) 02/2021 सह0 285 /राँची, दिनांक- 03.03.202

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-697 वि0स0 दिनांक-28.02.2021 के क्रम में 125 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

(85)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-34 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की सभी जिले/अनुमण्डल में कृषि विभाग के अधीन हजारों एकड़ भूमि का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण वर्णित जमीन बंजर होते जा रहे हैं;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित भूमि का उपयोग कृषि कार्य, पशुपालन तथा तालाबों के रूप में किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी जिलों में कार्य कर रहे किसान उत्पादन संगठन (FPO-FARMAR PRODUCER ORGANISATION) या कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं को देकर रोजगार सृजन कर आर्थिक रूप से सबल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। प्रक्षेत्र के सम्पूर्ण भूमि पर कृषि कार्य हेतु अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसमें झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम एवं Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) के अभिसरण के माध्यम से बीज उत्पादन की योजना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(अ०सू०)-04/2021 426 /कृ०, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-696 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(अ०सू०)-04/2021 426 /कृ०, राँची, दिनांक-03.03.2021।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(86)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–40 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किसी भी उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम पर Consumer name स्थानांतरण करने की सुविधा है;	स्वीकारात्मक है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किसी भी उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी द्वारा नाम स्थानांतरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देने पर उपभोक्ता का नाम स्थानांतरण करने की सुविधा है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम पद स्थानांतरण के लिए पूर्व में दी गई Kilowatt (KW) का security deposit मान्य नहीं होता है;	अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी द्वारा वांछित आवेदन देने पर Security Deposit के विरुद्ध जमा की गई राशि भी आवेदक के नाम पर स्थानांतरित होती है। ऐसे मामलों में, वर्त्तमान के लागू टैरिफ दर पर security deposit राशि की गणना कर एवं उसमें पूर्व में जमा की गई security deposit की राशि समायोजित की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किसी भी उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात् पूर्व में जमा Kilowatt (KW) का security deposit मान्य करते हुए उनके उत्तराधिकारी के नाम पर consumer name स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किसी भी उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी द्वारा नाम स्थानांतरण हेतु विहित प्रपत्र निगम के वेब साईट www.jbvnl.co.in पर उपलब्ध है। उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी द्वारा नाम स्थानांतरण हेतु आवेदन देने पर, वर्त्तमान में लागू टैरिफ दर पर आकलित राशि से, पूर्व में जमा की गई Security Deposit की राशि का समायोजन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 505 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docx 11

(87)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-28 की उत्तर सामग्री :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनु०जा०/अनु०ज०जा०, अल्पसंख्यक/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए छात्र/छात्राओं के आवासीय विद्यालय संचालित हैं.	आंशिक स्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में व्यय किए जा रहे राशि के अनुपात में संबंधित कोटि के छात्र/छात्रा शैक्षणिक लाभ से वंचित रह जाते हैं.	अस्वीकारात्मक। विभाग अन्तर्गत संचालित 143 आवासीय विद्यालयों में कुल 25348 छात्रबल स्वीकृत हैं। आवासीय विद्यालयों में राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या-936, दिनांक-22.03.2017 के द्वारा विभिन्न मदों में स्वीकृत दर के आलोक में किया जाता है। अतः व्यय की जा रही राशि से सभी अध्ययनरत छात्र/छात्रा लाभान्वित होते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 कोटि के सभी विद्यालयों में व्यय की जा रही राशि की जाँच कराकर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-02/वि० स०-03/2021-क- 587 राँची, दिनांक- 3/3/21

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-714, दिनांक-26.02.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(राज किशोर खाखा)
सरकार के अवर सचिव।

-88-

श्री इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 18 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गरीब मछुआरों के आवास के लिए पूर्व में वेदव्यास आवास योजना चलाई जा रही थी जिससे गरीब मछुआरों को आवास मुहैया हो जाता था?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कि वर्ष 2020–21 से वेद व्यास आवास योजना मछुआरों के लिये बंद कर दी गई है ?	स्वीकारात्मक है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2019 को सम्पन्न बैठक में वेदव्यास योजना से आच्छादित किये जाने वाले लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना में अभिसरण (Converge) किये जाने का निर्णय लिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना को जल्द प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:– 5 बजट (1) 13/2021 प0 पा0 251 राँची / दिनांक 03.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 704 दि0 28.02.2021 के प्रसंग में तथा अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Gulam Sarwar 3.3.21

(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव

(89)

श्री निरल पूरती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम के मंझारी प्रखण्ड अन्तर्गत लगड़ा कानू नदी में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे तुंगा, बरकुण्डिया और लगड़ा गाँव पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.	स्वीकारात्मक। पूर्व मे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध के कारण कार्य कराना संभव नहीं हो पाया।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आम जन जीवन की सुरक्षा के लिए कानू नदी के कटाव को रोकने के लिये कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त नदी से कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। तत्पश्चात् राज्य तकनीकी सलाहकार समिति एवं विभागीय स्तर पर गठित योजना समीक्षा समिति के अनुशंसा के पश्चात् क्षेत्रीय संतुलन एवं निधि की उपलब्धता के उपरांत (यदि जनावरोध नहीं हुआ) कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–अ०सू०–04/2021 – 1268 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 710 वि०स० दिनांक 28.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

-90-

डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-36 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में मेसर्स टेक्नो एवं मेसर्स इनविल कंपनी के द्वारा तार पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया गया है;	स्वीकारात्मक है। A) मेसर्स एनविल केबुल प्रा०लि० को भारत सरकार के DDUGJY 12th Plan के अन्तर्गत पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य आवंटित किया गया है। B) मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक को भारत सरकार के DDUGJY New के अन्तर्गत पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य आवंटित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि मेसर्स टेक्नो एवं मेसर्स इनविल कंपनी के द्वारा जो तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाया गया है, अत्यंत निम्न कोटि के है, जो लगाने के कुछ दिनों के बाद ही जल गया है;	अस्वीकारात्मक। मेसर्स एनविल केबुल एवं मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक के द्वारा पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर का कार्य किया जा रहा है, इस कार्य में त्रिस्तरीय जाँच की व्यवस्था की गई है। मेसर्स एनविल केबुल के लिए PMA मेसर्स RECPDCL एवं मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिए PMA मेसर्स मेकॉन इण्डिया लिमिटेड को 3rd Party नियुक्त किया गया है। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जिन सामग्री का Procurement मेसर्स एनविल केबुल एवं मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है, उसे 3rd Party के जाँच के उपरांत सामग्री का निष्पादन किया जाता है। इसके अलावा निर्माण का कार्य 3rd Party के निगरानी में किया जाता है एवं REC द्वारा नियुक्त RQM तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त NQM द्वारा इनके कार्य की गुणवत्ता की समय समय पर जाँच की जाती है। इनके कार्य में कमी होने पर एजेंसी द्वारा सुधार भी किया जाता है, इसके बावजूद भी अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो एजेंसी द्वारा उसे बदला जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर बदलते हुए मेसर्स टेक्नो एवं मेसर्स इनविल कंपनी के द्वारा जिले में सभी कार्यों के निगरानी जाँच कराते हुए उन्हें काली सूची में दर्ज करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। चूँकि यह कार्य DDUGJY (भारत सरकार की योजना) के अनतर्गत कराया गया है, इसमें कार्य सम्पादन के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत जाँच हेतु नियमानुसार त्रिस्तरीय जाँच एजेंसी (PMA, RQM & NQM) को नियुक्त किया जा चुका है। (जाँच के संबंध में उपरोक्त कंडिका के उत्तर में भी वर्णित है।)

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 507 / दिनांक 03/03/2021।

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 7

-91-

डॉ० सरफराज अहमद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-15 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
डॉ० सरफराज अहमद, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:-

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
1.	क्या यह बात सही है कि लाह की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान और आई0सी0आई0सी0आई0 फाउंडेशन के बीच एम0ओ0यू0 हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ;	स्वीकारात्मक। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित Pricing Committee द्वारा समय-समय पर लाह एवं अन्य लघुवनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

ह0/-
(दयानन्द प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-04/झारखोलैम्फ (वि0स0) अल्प सूचित-22/2021 स0 280 /राँची, दिनांक-03.03.2021

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-690 वि0स0 दिनांक-28.02.2021 के क्रम में 125 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्ता
श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०</th><th>उत्तरदाता
विभागीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि AT&C Losses कम करने के लिए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कंपनी (JBVNL) को विगत 03 वर्षों में "उदय योजना" के माध्यम से राज्य सरकार ने 5553 करोड़ रुपये मुहैया करायी है;</td><td>स्वीकारात्मक है।
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उदय योजना के तहत झारखण्ड सरकार द्वारा रु० 5553 करोड़ ऋण के रुप में मुहैया करायी गई है।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि AT&C Losses इतने खर्च के बावजूद भी कम होने के बजाय बढ़ा है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक है।
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के AT&C Losses की वर्षवार विवरणी निम्न है:-
<table>
<tr><th>FY</th><th>AT&C Losses (%)</th></tr>
<tr><td>2015&16</td><td>34.84%</td></tr>
<tr><td>2016&17</td><td>31.80%</td></tr>
<tr><td>2017&18</td><td>31.67%</td></tr>
<tr><td>2018&19</td><td>28.69%*</td></tr>
<tr><td>2019&20 (Provisional)</td><td>31.48%</td></tr>
</table>
UDAY योजना के कार्यान्वयन से पहले झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का AT&C Losses वित्तीय वर्ष 2015–16 में 34.84% था, जो कि वर्ष 2019–20 में घटकर 31.48% हो गई है।
वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेसर्स एच०ई०सी० के संचित बकाया राशि रु० 116.42 करोड़ का भुगतान झारखण्ड सरकार द्वारा किये जाने के कारण AT&C Losses में कमी आई थी।</td></tr>
<tr><td>3. क्या यह बात सही है कि AT&C Losses बढ़ने के कारणों में एक बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा बिजली की चोरी एक प्रमुख कारण है;</td><td>उदय योजना के लागू किये जाने से निगम के AT&C Losses कमी आई है। निगम द्वारा विद्युत चोरी के रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर छापामारी का कार्य किया जा रहा है, साथ ही विद्युत चोरी के मामले मिलने पर Electricity Act 2003 के धारा 135 के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।</td></tr>
<tr><td>4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार AT&C Losses कम करने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक है।
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपने संचरण नेटवर्क को सुदृढ़ करके तथा मीटरिंग, बिलिंग, संग्रहण के विभिन्न तरीकों को अपनाकर AT&C Losses को कम करने के लिए निरन्तर अथक प्रयास कर रहा है, जो निम्नांकित है:-
1. नेटवर्क सुदृढ़ीकरण का कार्य यथा पुराने जर्जर तार बदलने नये पावर सब स्टेशन का निर्माण कर फीडरों की लम्बाई कम करने, पुराने पावर सब स्टेशन की क्षमताओं को जरुरत के अनुरुप विस्तार करने का कार्य इत्यादि किया जा रहा है।</td></tr>
</table>

	2. Bared conductor को Arial Bunched Cable से एवं over head conductor को under ground cable से बदला जा रहा है। 3. बिना मीटर उपभोक्ताओं को मीटर लगाया जा रहा है। 4. बिजली चोरी रोकने हेतु निगम द्वारा बड़े पैमाने पर छापामारी की जा रही है, जिस हेतु क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर ए०पी०टी० दल का गठन किया गया है। 5. बिलिंग क्षमता में सुधार करने के लिए केन्द्रीकृत डेटा सर्वर पर Andriod आधारित फोटो स्पॉट बिलिंग और राजस्व संग्रह प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मित्र / बिलिंग एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। 6. बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न आईटी पहलुओं को भी लागू किया गया है। एचटी उपभोक्ताओं के लिए केन्द्रीकृत एचटी बिलिंग प्रणाली लागू की गई है। उपभोक्ताओं के लिए सेल्फ बिलिंग प्रणाली विकसित की गई है। 7. झा०बि०वि०नि०लि० ने ऑन लाईन वेब आधारित विपत्र भुगतान, भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) एवं Any Time Payment मशीनों के माध्यम से विद्युत विपत्र भुगतान की सुविधा भी उपभोक्ताओं को दी गई है। साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत विपत्र की वसूली हेतु Mobile van की सुविधा भी विकसित की जा रही है। 8. राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद के सात लाख उपभोक्ताओं के परिसर में Pre paid smart meter लगाने हेतु एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा पूरे राज्य में 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के परिसर में भी Pre paid smart meter लगाने का कार्य प्रगतिशील है। Pre paid smart meter के अधिष्ठापन से झा०बि०वि०नि०लि० के AT&C Losses में कमी आएगी ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक ......5 0 2....../ दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 17 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में संप्रति चांडिल, मैथन, पुनासी, अजय बराज एवं तिलैया में केज कल्चर के माध्यम से मछली का उत्पादन विस्थापितों के द्वारा किया जा रहा है ?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि केज कल्चर से मछली उत्पादन से संबंधित योजना बंद कर दी गई है ?	अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी केन्द्र प्रायोजित "ब्लू रिवोल्यूशन योजना" में केज कल्चर की योजना स्वीकृत की गई थी। जलाशयों में अधिष्ठापित केज में लाभुकों द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है तथा विभाग द्वारा लाभुकों को अनुदान पर मत्स्य बीज एवं केज की मछलियों के लिए फ्लोटिंग फीड भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन विस्थापितों के माध्यम से कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना– "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा" योजनान्तर्गत कुल 365 नए केज बैटरियों का अधिष्ठापन एवं मछली पालन कार्यक्रम की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है। 2. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राज्य योजना में नई स्कीम– "केज कल्चर का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना" भी प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांकः– 5 बजट (1) 08/2021 प० पा० 250 राँची/ दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 698 दि0 28.02.2021 के प्रसंग में तथा अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.21

(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव

(9A)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य के छोटे-छोटे कुटीर एवं सूक्ष्म संयंत्र को चलाने के लिए L.T.I कनेक्शन की स्वीकृति राज्य स्तर पर दी जाती है, जबकि पूर्व में L.T.I कनेक्शन की स्वीकृति प्रमण्डल स्तर से ही मिलती थी;	स्वीकारात्मक है। Ease of doing business के तहत सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा State Business Reform Action Plan-2019 के तहत दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में नये L.T.I.S. विद्युत संबंध हेतु आवेदन उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विकसित single window के माध्यम से किया जाता है, जबकि पूर्व में आवेदक झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विकसित "सुविधा पोर्टल" से आवेदन जमा करते थे । सूचित करना है कि single window system के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन Electrical Inspector के द्वारा Electricity Map की स्वीकृति के पश्चात, निगम के संबंधित प्रमण्डल स्तरीय पदाधिकारियों को ऑनलाईन माध्यम से अग्रेषित कर दी जाती है, जिसका निष्पादन प्रमण्डल/अवर प्रमण्डल स्तर पर किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर से स्वीकृति मिलने के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों को राज्य मुख्यालय आने-जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	Ease of doing business के तहत उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए सारी प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से निष्पादित करने हेतु उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा single window system विकसित किया गया है। उपरोक्त ऑनलाईन प्रक्रिया में State Business Reform Action Plan-2019 के तहत Electrical Inspector, ऊर्जा विभाग के द्वारा Electricity Map की स्वीकृति ऑनलाईन करवाना अनिवार्य है, जिस कारण कुछ उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में पूर्व की भांति L.T.I कनेक्शन की स्वीकृति प्रमण्डल स्तर से ही करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उद्योग विभाग से समन्वय कर समाधान निकालने का कार्य किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 512 / दिनांक 03/03/2021।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 14

95

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
श्री अनन्त कुमार ओझा,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंजीकृत किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर मैसेज भेजाकर धान उनके नजदीकी लैम्पस/पैक्स में बेचने की सूचना देकर धान क्रय की जा चुकी है;	स्वीकारात्मक। धान अधिप्राप्ति हेतु ई–उपार्जन पोर्टल पर निबंधित सभी किसानों को मैसेज भेज कर नजदीकी लैम्पस/पैक्स में धान विक्रय हेतु सूचना दी जा रही है। यह प्रकिया निरंतर चल रही है।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार किसानों से साहेबगंज जिले में 30 हजार क्विंटल धान खरीदने का वित्तीय वर्ष 2020–21 मे लक्ष्य रखा था तथा प्रति क्विंटल रू0 2050 क्रय मूल्य रखा गया है;	वित्तीय वर्ष 2020–21 में साहेबगंज जिला में 35 हजार क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था जिसे पुनर्निधारित करते हुए 55 हजार क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य कर दिया गया है। केन्द्र द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 रूपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है एवं राज्य द्वारा बोनस के रूप में 182 रूपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। कुल 2050 रूपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया जा रहा है।
(3) क्या यह बात सही है जिले के कृषकों से धान अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण बिचौलियों द्वारा औने–पौने दाम में गरीब कृषकों से सरकार द्वारा धान क्रय करने के पूर्व ही क्रय कर ली गयी, जिस कारण लक्ष्य पुरा नहीं हो सका है;	अस्वीकारात्मक। खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिप्राप्ति का कार्य वर्तमान में चल रहा है एवं इसकी समाप्ति तक शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में कुल निबंधित/अनिबंधित कृषकों की संख्या बताने तथा साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड अन्तर्गत कुल कितने निबंधित/अनिबंधित कृषकों से धान ससमय क्रय की गयी, आँकड़े सहित विवरणी उपलब्ध कराने तथा जिला के सभी कृषकों से अविलम्ब धान क्रय करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु अभी तक कुल निबंधित किसानों की संख्या 2,00,109 है तथा साहेबगंज जिले में अभी 4,177 किसानों ने निबंधन कराया है, जिनमें से 262 किसानों ने अभी तक अपना धान इस योजना के तहत विक्रय किया है। साहेबगंज जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 55000 क्विंटल के विरूद्ध अब तक 14,761 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र में 1,164 किसान ई–उपार्जन पोर्टल पर निबंधित है जिनमें से 104 किसानों ने कुल 5616.84 क्विंटल धान का विक्रय किया है। इस योजनान्तर्गत जो भी किसान धान बेचना चाहते है वे ई–उपार्जन पोर्टल पर निबंधन कराकर अपना धान, धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर विक्रय कर सकते है। खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिप्राप्ति के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग प्रयासरत है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०आ० 04 (वि०स०अ०सू०प्रश्न) 11/2021 697 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–691/वि०स०, दिनांक 28.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

७6

झारखण्ड सरकार

<u>खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग</u>

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू०प्रश्न संख्या–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री सरयू राय,	श्री रामेश्वर उराँव
स०वि०स०	मंत्री,
	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, 27.03.2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव ने विडियोकान्फ्रेंसिंग से पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिन लाभुकों का राशनकार्ड, आधारकार्ड से नहीं जुड़ा है, उनका राशनकार्ड रद्द कर दें;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि इस निर्देश के कारण विभिन्न जिलों में भारी संख्या में राशनकार्ड रद्द कर दिये गये, 1000 दिन की उपलब्धियाँ बतानेवाली पुस्तिका में तत्कालीन सरकार ने 11.30 लाख राशनकार्ड रद्द किये जाने का उल्लेख किया है;	यह सही है कि उल्लेखित पुस्तिका में 1000 दिन की उपलब्धियाँ बताकर 11.64 लाख राशनकार्ड रद्द होने का उल्लेख है लेकिन इस पुस्तिका में यह स्पष्ट नहीं है कि दर्शाये गये 11.64 लाख राशनकार्डों को इस कारण पर रद्द किया गया है कि वे आधार कार्ड से सीड नहीं है। इस संबंध में NIC से प्राप्त प्रतिवेदन के अध्ययन से प्रतीत होता है कि विभिन्न तिथियों में निम्न कारणों से राशनकार्ड रद्द किये गये हैं: (i) लाभुक की मृत्यु। (ii) दोहरे राशनकार्ड, (iii) डुप्लिकेट आधार, (iv) लाभुक द्वारा स्वयं राशनकार्ड सरेण्डर किये जाने, (v) लाभुक या परिवार का अस्तित्व में नहीं होना, (vi) समावेशन एवं अपवर्जन मानकों के आधार पर पात्र नहीं होना (vii) सुषुप्त राशनकार्डधारी। पुनश्च: उल्लेखित पुस्तिका के अनुसार 9.31 लाख नये राशन कार्ड भी बनाये गये थे।
(3) क्या यह बात सही है कि आधारकार्ड विहीन राशनकार्ड को रद्द करने का निर्देश देना और इसका अनुपालन करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध था, परन्तु सरकार ने दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की;	यह निर्विवाद सत्य है कि आधारकार्ड विहीन राशनकार्ड को रद्द किये जाते हैं तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध होगा। जैसा कि कंडिका–2 में बताया गया है कि उल्लेखित पुस्तिका में बताया गया है कि 11.64 लाख राशनकार्ड रद्द किये गये एवं 9.31 लाख नये राशनकार्ड बनाये गये है, परन्तु NIC के रिपोर्ट से यह स्पष्ट नही होता है कि आधार संख्या विहीन राशनकार्ड को ही रद्द किया गया है। चूँकि NIC के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उल्लेखित संख्या में राशनकार्ड रद्द इसलिए किया गया है कि वे आधारकार्ड से सीड नही है। इस कारण से किसी पदाधिकारी को दोषी माना जाना श्रेयस्कर नही होगा।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्र सरकार के निर्णयों की अवहेलना करनेवाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जैसा की कंडिका–3 के उत्तर से स्पष्ट होगा कि NIC के रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रद्द राशनकार्ड इसलिए रद्द किये गये हैं क्योंकि वो आधार से सीडेड नहीं है। यद्यपि 27.03.2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव ने विडियोकान्फ्रेंसिंग से पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिन लाभुकों को राशनकार्ड, आधारकार्ड से नहीं जुड़ा है, उनका राशनकार्ड रद्द कर दें तथापि विभाग ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक 2060, दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना की प्रति, जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आधार विहीन NFSA के लाभुकों को भी विभाग द्वारा जारी राशनकार्ड एवं अगर वो आधार हेतु नामांकित है तो उसके आधार नामांकन पहचान स्लीप या अनुरोध प्रति और कोई एक पहचान पत्र के आधार पर भी अनाज प्राप्ति के हकदार होंगे, सभी जिलों को अग्रेषित कर उसके आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०अ०सू० प्रश्न) 08/2021 696 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 702/वि०स०, दिनांक 28.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

(97)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अ०सू० प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिरंची नारायण,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, वर्ष 2020–21 मे झारखण्ड मे धान क्रय केन्द्रों मे किसानों द्वारा उत्पादित धान को 2 श्रेणियों क्रमशः गीला धान और सूखा धान मे बांट कर किसानों से खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों के मध्य धान को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और इसका प्रत्यक्ष लाभ बिचौलियों द्वारा उठाया जा रहा है.	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018–19 मे सुखाड़ के बावजूद राज्य मे 28.94 लाख टन धान का उत्पादन हुआ, लेकिन इसके सापेक्ष राज्य सरकार के एजेंसियों के माध्यम से महज 2.27 लाख टन धान की ही खरीद की जा सकी, जो कि 10 फीसदी से कम है और इसी प्रकार वर्ष 2019–20 मे 34 लाख टन का उत्पादन हुआ, जिसके सापेक्ष खरीद मात्र 3.2 लाख टन रही, यह भी कुल उत्पादन के 10 फीसद से कम रहा और इस प्रकार सरकार की एजेंसियो ने भी अब तक अपने धान खरीद के दायरे को 10 फीसद के भीतर ही समेटे रखा है,	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित मे राज्य के सभी जिलों मे धान क्रय केन्द्रो की संख्या मे वृद्धि करवाते हुए कंडिका–2 मे वर्णित धान खरीद की मात्रा को बढ़वाने एवं राज्य मे सक्रिय बिचौलियों पर अंकुश लगवाते हुए झारखण्ड के किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बोनस सहित 2050 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2019–20 मे धान अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या– 317 थी जो 2020–21 मे बढ़ाकर 454 कर दी गई है। पूर्व वर्ष 2019–20 मे 3.79 लाख MT धान की अधिप्राप्ति की गई थी। इस वित्तीय वर्ष मे 5.49 लाख MT खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखण्ड के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बोनस सहित 2050 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान अधिप्राप्ति की जा रही है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष मे धान खरीद के साथ ही किसानों को MSP का 50% का भुगतान PFMS के माध्यम से उनके बैंक खाता में किया जा रहा है।

ह०/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (विधान सभा) 70/2020 604 /राँची, दिनांक 25.02.21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–33/वि०स०, दिनांक 17.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2021

सरकार के अवर सचिव।

(98)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 04.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू० प्रश्न संख्या–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिरंची नारायण,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, राज्य के कई जिलों में स्थित जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों के पद कई वर्षों से रिक्त है, जिस पर नियुक्ति नहीं किए जाने की वजह से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार राज्य के उपभोक्ता इन जिला उपभोक्ता फोरम में अपना शिकायतवाद दर्ज नहीं करा पा रहे है और पूर्व से दर्ज शिकायतों पर सुनवाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे पूरे राज्य में हजारों की संख्या में शिकायतवाद लंबित पड़े हुए है;	स्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त सभी जिला उपभोक्ता फोरम में तत्काल रिक्त पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करवाते हुए झारखण्ड के उपभोक्ताओं को राहत दिलवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का निरसन हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के 20 जुलाई, 2020 से लागू हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के तहत नियुक्ति/सेवा शर्त्त से संबंधित नियमावली के गठन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही, राज्य एवं जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जा चुका है।

ह०/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (विधान सभा) 71/2020 605 /राँची, दिनांक 25.02.21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–34/वि०स०, दिनांक 17.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2021

सरकार के अवर सचिव।

डॉ सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग में सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इनपर लागत वसूली दर निर्धारित किया था, जबकि किसी भी सिंचाई योजना को राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है ;	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा जल क्षेत्र प्रबंधन (Water Sector Management) हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए अनुदान देने हेतु राज्यवार अनुमानित वसूली दर प्राप्त (Projected Recovery Rate achieve) करने की शर्त लगायी गयी थी। यह सही है कि राज्य की किसी भी सिंचाई योजना को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2018–19 के दौरान 11 सिंचाई परियोजनाओं को कुल 1759.45 करोड़ रूपये का पूँजीगत परिव्यय प्रदान किया गया और 23 परियोजनाओं पर कार्य व्यय और रख–रखाव शुल्क हेतु 1480.90 करोड़ रूपये खर्च किया गया तथा वर्ष 2018–19 के दौरान 38.04 करोड़ रूपये इन परियोजनाओं से विविध राजस्व के रूप में प्राप्त किया गया ;	वर्ष 2018–19 में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई (बाढ़ प्रक्षेत्र सहित) व्यय की गयी कुल राशि रू० 1480.90 करोड़ है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रख–रखाव पर कुल रू० 1113.05 करोड़ का व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से रू० 38.04 करोड़ का विविध राजस्व प्राप्त किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	(i) राज्यान्तर्गत सिंचाई योजनाए मुख्यतः सिंचाई एवं पेयजल को ध्यान में रख कर निर्मित की गयी है एवं कल्याणकारी योजनाए है। इन्हें वाणिज्यिक घोषित किया जाना अभी विचाराधीन नहीं है। (ii) विभिन्न योजनाओं एवं नदियों से वाणिज्यिक संस्थानों को किये गये जलापूर्ति के शुल्क के रूप में विभाग द्वारा निर्धारित दर पर राजस्व प्राप्त किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–अ०सू०–08/2021– 1277 /राँची, दिनांक 03/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 711 वि०स० दिनांक 28.02.2021 के प्रसंग मे अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(100)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न, संख्या–अ०सू०–39 का उत्तर।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन योजना अन्तर्गत SC/ST को 50% तथा विधवा व दिव्यांग जनों को 90% राशि गाय, भैस, बकरी बत्तख पालन हेतु अनुदान दी जा रही है;	अंशिक रुप से स्वीकारात्मक। (1) मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अन्तर्गत बकरा/शूकर/कुक्कुट विकास योजना में सभी सामान्य लाभुकों को 50% तथा असहाय विधवा औरतों/दिव्यांगों/निसंतान दम्पत्ति के लिए 90% अनुदान का प्रावधान है। बत्तख वितरण योजना में सभी लाभुकों के लिए 90% अनुदान का प्रावधान है। उक्त सभी योजनाओं (बकरा/सूकर/ कुक्कुट विकास एवं बत्तख वितरण योजना) में अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 100% अनुदान पर योजना का लाभ कल्याण विभाग के अभिसरण से दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्यादेश में यह भी उल्लेख है कि "यदि कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं अथवा कल्याण विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को पशुपालन प्रभाग के अन्तर्गत निर्धारित अनुदान पर आवेदक के सहमति पर योजना का लाभ दिया जा सकेगा।" (2) (क) महिलाओं के लिये दो दुधारु गाय वितरण की योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभुकों के लिये 50% अनुदान का प्रावधान है। (ख) पाँच गाय की मिनी डेयरी एवं दस गाय की मिडी डेयरी योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों तथा दूध सहकारी समिति के लिये 33.33% अनुदान का प्रावधान है। शेष अन्य सभी वर्गों के लाभुकों के लिये 25% अनुदान का प्रावधान है।
2	क्या बात सही है कि कोविड–19 के कारण पूरे राज्य में रोजगार तथा काम धंधा ठप होने के कारण आमलोग बेरोजगार के शिकार होने से पशुधन क्रय करने में परेशानी हो रही है ?	अंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधवा तथा दिव्यांग की तरह SC/ST कोटा के लाभुकों को 90% अनुदान व बीमा राशि का वहन कर लाभुकों को देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अन्तर्गत बकरा/सूकर/कुक्कुट विकास एवं बत्तख वितरण योजना का लाभ 100% अनुदान पर कल्याण विभाग के अभिसरण से दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पशुपालन प्रभाग द्वारा सभी वर्गों के लाभुकों को भिन्न–भिन्न अनुदान प्रतिशत की योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें बीमा राशि भी सम्मिलित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:–5 बजट (1) 07/2021 प0 पा0 ......249-...... रॉंची/ दिनांक 03.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक 695 दि0 28.02.2021 के प्रसंग में एवं अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2021

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव

(121)

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–30 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति की समस्या के समाधान के लिए अधिसूचना संख्या–1968, दिनांक–15.09.2008 में अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद् का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री तथा सदस्य विधान–सभा तथा लोकसभा के अनुसूचित जाति के सदस्य है ;	स्वीकारात्मक। अधिसूचना सं०–1968, दिनांक–15.09.2008 द्वारा झारखण्ड कार्यपालक नियमावली 32 उप नियम (क) की धारा (xvi) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद् नियमावली, 2008 का गठन किया गया है। अधिसूचना सं० 1969, दिनांक–15.09.2008 द्वारा गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद् का कार्यकाल द्वितीय विधानसभा की समाप्ति के साथ वर्ष 2009 में समाप्त हो चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि परिषद् के गठन के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक एक भी बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को परिषद् समिति का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद् समिति वर्ष 2009 के बाद पुनर्गठित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में गठित अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद् की बैठक नियमानुसार वर्ष में दो बार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (अ०सू०)–02/2021 588   राँची, दिनांक– 03/03/21

प्रतिलिपि– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–713, दिनांक–28.02.2021 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/21

(वंदना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

(102)

<u>श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन</u>

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पुष्पा देवी , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिला पलामू के पाटन प्रखण्ड के गाँव जैसे बुढ़ी, बुका, चेतमा, तिलैया सहित दर्जनों गाँव आजादी से लेकर आज तक बिजली से वंचित हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित गाँवों के ग्रामीण सरकारी उदासीनता के कारण आज भी ढिबरी युग में जीने को विवश हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित गाँवो में विद्युतीकरण कर ग्रामीणों को बिजली सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्णित गाँव बुढ़ी, बुका, चेतमा, तिलैया पाटन प्रखण्ड मुख्यालय से 35 कि०मी० दूर जंगल में स्थित है, जहाँ 18 कि०मी० 11 के०भी० का लाईन जंगल से पास करेगा। विद्युतीकरण का कार्य DDUGJY के अन्तर्गत की जा रही है, एवं वर्णित गाँव में कार्य शुरू किया गया था परंतु पलामू वन प्रमण्डल के द्वारा कार्य को रोक दिया गया। वन प्रमण्डल से इस कार्य को पूरा करने के लिए अनापत्ति अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है। अबतक अनापत्ति/अनुमोदन वन विभाग के पास लंबित है। वन विभाग से इस संदर्भ में संपर्क किया जा रहा है। अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् वर्णित गाँव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
<u>ऊर्जा विभाग</u>

ज्ञापांक 508 / दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 6